इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 578] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 16 अक्टूबर 2018—आश्विन 24, शक 1940

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर 2018

क्र. एफ 5–22/2018/55–2– राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका–प्रसाविका तथा स्वास्थ्य परिदर्शक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1972 (क्रमांक 46 सन् 1973) की धारा 24 के साथ पठित धारा 33 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसके निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली समस्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए 'मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम, 2018' बनाती है :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ–

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम, 2018" है।

(2) ये नियम दिनांक 01 दिसम्बर 2018 से प्रवृत्त होंगे।

(3) विस्तार:– ये नियम मध्यप्रदेश में उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका–प्रसाविका तथा स्वास्थ्य परिदर्शक के शिक्षण–प्रशिक्षण हेतु संचालित सभी संस्थाओं पर लागू होंगे।

2. परिभाषाएं–

(1) इन नियमों में , जबतक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका–प्रसाविका तथा स्वास्थ्य परिदर्शक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1972 (कमांक 46 सन् 1973);

(ख) "आई.एन.सी." से अभिप्रेत है इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल (भारतीय उपचर्या परिषद);

(ग) "परिषद्" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश उपचारिका रजिस्ट्रीकरण परिषद्।

(2) शब्द तथा अभिव्यक्तियां जो इन नियमों में आए हैं किंतु परिभाषित नहीं किए गए हैं के वही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में समनुदेशित किए गए हैं।

3. पाठ्यक्रम–

परिषद उपचारिका प्रसाविका सहायी उपचारिका–प्रसाविका तथा स्वास्थ्य परिदर्शक के शिक्षण–प्रशिक्षण हेतु निम्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण संस्था को मान्यता दे सकेगी:–

अनुक्रमांक	पाठ्यक्रम
(1)	सहायी उपचारिका–प्रसाविका।
(2)	उपचारिका प्रसाविका।
(3)	बीएससी नर्सिंग।
(4.)	पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग।
(5.)	एम एस सी नर्सिंग।
(6.)	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन कार्डियो थोरासिक नर्सिंग।
(7)	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन ऑपरेशन रूम नर्सिंग।
(8)	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन आर्थोपेडिक रिहेबिलिटेशन नर्सिंग।
(9)	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन ऑकोलोजी नर्सिंग।
(10.)	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन क्रिटिकल केअर नर्सिंग।
(11)	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन इमरजेंसी एण्ड डिजास्टर नर्सिंग।
(12)	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन न्योनेटल नर्सिंग।
(13)	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन न्यूरोसाइंस नर्सिंग।
(14)	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन साईक्रेट्रिक/मेंटल हेल्प नर्सिंग।
(15)	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन फारेंसिक नर्सिंग।
(16)	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन इनडिपेंडेंट नर्स मेड वाईफ।
(17)	आई एन सी द्वारा नियत अथवा मान्य अन्य कोई पाठ्यक्रम।
(18)	संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित अन्य कोई पाठ्यक्रम।

4. शिक्षण संस्था की मान्यता हेतु अर्हताएं.–

(1) अकादमी भवन–

(एक) अकादमी भवन अनुसूची–1 के अनुसार होना आवश्यक है।

(दो) अकादमी भवन आवेदक संस्था के स्वत्व का होना चाहिए परन्तु संस्था के स्वत्व के अर्हताधारी अस्पताल से सम्बद्धता की दशा में, 3 वर्ष में आवेदक संस्था के स्वत्व के भवन की व्यवस्था करने की शर्त पर, किराए का भवन मान्य किया जा सकेगा।

(2) <u>छात्रावास सुविधा–</u>

(एक) छात्रावास की सुविधा अनुसूची–2 के अनुसार होनी आवश्यक है।

(दो) आवेदक संस्था के स्वत्व का छात्रावास होने की दशा में, ऐसी आवेदक संस्था को संबंधित जिले के लिए अन्य आवेदकों की तुलना में वरीयता दी जाएगी।

(3) <u>अर्हताधारी चिकित्सालय</u>–

(एक) आवेदक संस्था का शिक्षण–प्रशिक्षण हेतु अनुसूची–3 में दर्शाए गए अनुसार अर्हताधारी चिकित्सालय से सम्बद्ध होना आवश्यक है।

(दो) किसी जिले के लिए एक से अधिक संस्था का आवेदन प्राप्त होने की दशा में, परस्पर वरीयताक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगाः–

(अ) प्रथम वरीयता ऐसी आवेदक संस्था को दी जाएगी जिसका स्वयं के स्वत्व का अर्हताधारी चिकित्सालय है। स्वयं के स्वत्व से आशय आवेदक संस्था और चिकित्सालय का स्वत्वधारी एक समान होने से है।

(ब) द्वितीय वरीयता ऐसी आवेदक संस्था को दी जाएगी जिनके संचालक/ट्रस्टी का अर्हताधारी चिकित्सालय है।

(स) परिषद् अनुसूचित क्षेत्र के लिए आवेदक संस्था के स्वत्व के चिकित्सालय की आवश्यकता को निम्न परिस्थितियों में शिथिल कर सकेगीः–

(क) संबंधित क्षेत्र के जिला मुख्यालय पर नर्सिंग/ जीएनएम/ एएनएम की शिक्षण–प्रशिक्षण की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध न हो ; और

(ख) आवेदक संस्था ने अर्हताधारी चिकित्सालय से सम्बद्धता प्राप्त कर ली हो।

(4) <u>कर्मचारिवृन्द</u>–

(एक) कर्मचारिवृन्द अनुसूची–4 के अनुसार पूर्णकालिक शैक्षणिक होना आवश्यक है।

(दो) शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द का परिषद् में पंजीयन अनुसूची–5 के अनुसार होना आवश्यक है।

(तीन) प्रशासनिक आवश्यकता एवं छात्रावास संचालन हेतु कर्मचारिवृन्द की व्यवस्था अनुसूची–6 के अनुसार की जाना अपेक्षित है।

(5) <u>शैक्षणिक अधोसंरचना सुविधाएं</u>–

शैक्षणिक अधोसंरचना सुविधाएं अनुसूची–7 के अनुसार होना आवश्यक है।

(6) <u>शैक्षणिक गुणवत्ता</u>–

पूर्व से स्थापित संस्था की दशा में संस्था के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम राज्य के औसत से कम नहीं होना चाहिए और पाठ्यक्रम विशेष में संस्था के कुल पंजीकृत विद्यार्थियों में से न्यूनतम 70 प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण होने चाहिए।

5. मान्यता की प्रक्रिया–

(1) परिषद् का पंजीयक प्रतिवर्ष मान्यता के संबंध में समयबद्ध समयचक्र परिषद् की वेबसाईट पर प्रदर्शित कराएगा।

(2) इच्छुक आवेदक संस्था को पाठ्यक्रमवार मान्यता प्राप्त करनी होगी। संस्था केवल उन्हीं पाठ्यक्रमों में शिक्षण–प्रशिक्षण दे सकेगी जिसके लिए परिषद् ने संस्था को मान्यता दी है।

(3) इच्छुक आवेदक संस्था को आवेदन शुल्क एवं सुरक्षा निधि के साथ अनुसूची–8 में दर्शाए अनुसार में मान्यता हेतु आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन प्रस्तुत करने की नियत समय सीमा के बाद आवेदन में संशोधन अथवा अतिरिक्त दस्तावेज मान्य नहीं होगा।

(4) आवेदक संस्था को नियम 4 के उप–नियम (3) के अंतर्गत आवश्यक सम्बद्ध चिकित्सालय तथा नियम 4 के उप–नियम (4) के अंतर्गत आवश्यक पूर्णकालिक शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द का पंजीयन कराना होगा।

(5) आवेदक संस्था द्वारा नियम 4 में वर्णित आवश्यक अर्हताएं पूरी नहीं करने की दशा में, आवेदन स्वमेव निरस्त हो जाएगा और संस्था द्वारा जमा कराई गई राशि परिषद् के पक्ष मे राजसात हो जाएगी।

(6) मान्यता प्रमाण पत्र अनुसूची 9 में दर्शाए गए में जारी किया जाएगा।

(7) मान्यता आवेदन परिषद् की कार्यकारिणी समिति की बैठक में विचार कर निराकृत किए जाएगें।

(8) मान्यता संबंधी निर्णय परिषद् की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

(9) आवेदन संस्था के मान्यता संबंधी आवेदन निरस्त होने की दशा में, कारण दर्शाते हुए आवेदक संस्था को परिषद् द्वारा ई–मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

6. **मान्यता अवधि–**

(1) नवीन संस्था को प्रथम 4 वर्ष प्रति वर्ष मान्यता लेनी होगी। तत्पश्चात् एक बार में 4 वर्ष तक के लिए मान्यता दी जा सकेगी।

(2) इन नियमों के लागू होने के पूर्व नियम 3 में वर्णित किसी पाठ्यक्रम को संचालित कर रही संस्था की दशा में, एक बार में 4 वर्ष तक की अवधि के लिए मान्यता दी जा सकेगी।

(3) संस्था की मान्यता अवधि समाप्त होने पर संस्था को पुनः मान्यता लेनी होगी।

(4) केन्द्र शासन अथवा राज्य शासन के किसी विभाग, उपक्रम, संस्था, आदि द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्था को प्रभावशील फीस नियमित जमा करने की शर्त पर आजीवन मान्यता दी जा सकेगी।

7. **मान्यता निरस्तीकरण–**

(1) निम्न परिस्थितियों में संस्था की संपूर्ण मान्यता अथवा पाठ्यक्रम विशेष के लिए मान्यता निरस्त की जा सकेगी:–

(एक) संस्था द्वारा नियम 4 में वर्णित आवश्यक अर्हता सतत् धारण नहीं करने की दशा में;

(दो) संस्था द्वारा संचालित किसी पाठ्यक्रम में लगातार 3 वर्ष तक राज्य के औसत से उत्तीर्णता का प्रतिशत कम होने की दशा में;

(तीन) संस्था द्वारा मान्यता हेतु परिषद् को प्रस्तुत आवेदन में मिथ्या जानकारी दी जाने की दशा में;

(चार) विद्यार्थियों के पंजीयन अथवा उपस्थिति संबंधी गंभीर अनियमितता की दशा में;

(पांच) शिक्षण–प्रशिक्षण की गुणवत्ता निम्न स्तर की होने, विद्यार्थी से अनुचित वसूली करने, विद्यार्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र को अनुचित रूप से रोकने, विद्यार्थी की सुरक्षा में गंभीर चूक करने अथवा कोई ऐसा कृत्य या चूक करने की दशा में, जो किसी शैक्षणिक संस्थान की मर्यादा के घोर उल्लघंन में हो।

(2) मान्यता निरस्तीकरण के पूर्व संस्था को कारण बताते हुए सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा और उसके विरूद्ध उपलब्ध प्रमाण का अवलोकन कराया जाएगा।

(3) मान्यता निरस्तीकरण के लिए कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के उपरांत, संस्था की मान्यता निलंबित की जा सकेगी।

(4) मान्यता निरस्तीकरण के लिए जारी कारण बताओ सूचना पत्र की 7 दिवस के भीतर परिषद् मान्यता सतत् रखने अथवा निरस्त करने का स्वतः बोलता हुआ आदेश पारित करेगी।

8. निरीक्षण–

(1) परिषद्, संस्था का नियमित तथा समय–समय पर आकस्मिक निरीक्षण करा सकेगी।

(2) परिषद्, निरीक्षण हेतु पूर्णकालिक, मानदेयी, अनुबंध, निश्चित पारिश्रमिक, आदि पर यथोचित निरीक्षक सूचीबद्ध कर निरीक्षण करा सकेगी।

(3) संस्था में शिक्षण–प्रशिक्षण के सतत उन्नयन के उद्देश्य से परिषद् निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति संस्था को उपलब्ध करा सकेगी।

9. शिक्षण–प्रशिक्षण हेतु चिकित्सालय की सम्बद्धता–

(1) संस्था के चिकित्सालय की सम्बद्धता के लिए अनुसूची–10 में दर्शाए अनुसार आवश्यक बिस्तर होना आवश्यक है।

(2) किसी चिकित्सालय द्वारा अनुसूची–10 मे दर्शायी सीमा से अधिक विद्यार्थियों के लिए सम्बद्धता प्रमाण पत्र जारी किए होने की दशा में, चिकित्सालय की सम्बद्धता का मान्यताक्रम निम्नानुसार होगाः–

(एक) प्रथम वरीयता पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष के छात्रों के लिए;

(दो) द्वितीय वरीयता पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के ठीक पूर्व के वर्ष के छात्रों के लिए;

(तीन) तत्पश्चात् पाठ्यक्रम के घटते हुए शैक्षणिक वर्ष के छात्रों के लिए;

(चार) विभिन्न पाठ्यक्रमों के मध्य प्रथम वरीयता स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, द्वितीय वरीयता स्नातक पाठ्यक्रम एवं तृतीय वरीयता प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों को दी जाएगी।

(3) किसी चिकित्सालय द्वारा अनूसूची–10 में दर्शाई सीमा से अधिक विद्यार्थियों के लिए सम्बद्धता प्रमाण पत्र जारी किए जाने की दशा में, परिषद् यथासंभव प्रभावित अध्ययनरत विद्यार्थियों को जिले के भीतर किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्था में प्रवेश देने का आदेश जारी कर सकेगी और ऐसा आदेश संबंधित संस्था पर बंधनकारी होगा।

10. **फीस–**

परिषद् द्वारा समय–समय पर नियत फीस लागू होगी। वर्तमान फीस अनुसूची–11 के अनुसार है।

11. **आई एन सी से मान्यता हेतु प्रमाणीकरण–**

परिषद् द्वारा जारी मान्यता प्रमाणपत्र को आई एन सी में आवेदन के लिए राज्य शासन द्वारा अधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करने की दशा में, परिषद् का मान्यता प्रमाण–पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी डिजायरेबिलिटी एण्ड फिजीबिलिटी प्रमाण पत्र माना जाएगा।

12. **शास्ति–**

इन नियमों का उल्लघंन करने की दशा में, संबंधित संस्था को सुनवाई का अवसर देते हुए संस्था द्वारा जमा सुरक्षा राशि आंशिक अथवा पूर्णतः परिषद् के खाते में राजसात की जा सकेगी और ऐसी दशा में, संस्था को समय–समय पर लागू सुरक्षा राशि परिषद में पुनः जमा करना होगी।

13. **अभ्यावेदन–**

(1) मान्यता संबंधी परिषद् के किसी आदेश के विरूद्ध परिषद को आदेश के 7 दिवस के भीतर अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(2) परिषद् की कार्यकारिणी अभ्यावेदक को सुनवाई का अवसर देते हुए अभ्यावेदन का निराकरण कर सकेगी।

14. **निरसन–** इन नियमों के प्रकाशन के पूर्व मान्यता के संबंध में जारी किए गए समस्त दिशानिर्देश, निर्देश, आदेश, परिपत्र आदि निरसित समझे जाएंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शर्मिला ठाकुर, अवर सचिव.

अनुसूची–1

(नियम 4(1) देखिए)

अकादमी भवन

(प्रारूप)

स. क्र.	विवरण	कुल आवश्यकता			
		जी.एन.एम. हेतु	बी.एस.सी. नर्सिंग हेतु	पोस्ट बेसिक नर्सिंग हेतु	एम.एस.सी. नर्सिंग हेतु
1	लेक्चर हॉल	न्यूनतम 600 वर्गफीट (30 या कम विद्यार्थियों के लिये) अतिरिक्त 18 वर्गफीट प्रति विद्यार्थी			
2	नर्सिंग फाउंडेशन प्रयोगशाला	1500 वर्गफीट			
3	सी.एच.एन. और न्यूट्रीशन प्रयोगशाला	900 वर्गफीट			
4	एडवांस नर्सिंग स्किल प्रयोगशाला	900 वर्गफीट			
5	ओ.बी.जी. और पीडियाट्रिक्स प्रयोगशाला	900 वर्गफीट			
6	प्री–क्लिनिकल साइंस प्रयोगशाला	900 वर्गफीट			
7	कम्प्यूटर प्रयोगशाला + ऑडियोविजुअल कक्ष	1500 वर्गफीट			
8	मल्टीपरपज हॉल	3000 वर्गफीट (किराये पर व्यवस्था की जा सकेगी।			
9	कॉमन कक्ष (मेल और फीमेल)	1000 वर्गफीट			
10	प्रशासकीय स्टाफ कक्ष	न्यूनतम 400 वर्गफीट (30 या कम विद्यार्थियों के लिये) अतिरिक्त 50 वर्गफीट प्रति व्यक्ति			
11	प्राचार्य कक्ष	300 वर्गफीट			
12	उपप्राचार्य कक्ष (जी.एन.एम के लिये आवश्यक नही)	200 वर्गफीट			
13	लाइब्रेरी	1800 वर्गफीट			
14	डिपार्टमेंट हेड कक्ष एवं फेकल्टी कक्ष	न्यूनतम 600 वर्गफीट (10 या कम शिक्षकों के लिये) अतिरिक्त 50 वर्गफीट प्रति शिक्षक			
15	शौचालय (मेल)	प्रति 15 विद्यार्थी एक			
16	शौचालय (फीमेल)	प्रति 15 विद्यार्थी एक			

टीप:– 1. एक लेक्चर हॉल की क्षमता 60 विद्यार्थियो से अधिक नहीं हो सकेगी।

2. पाली (Shift) की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

3. मल्टीपरपज हॉल को लेक्चर हॉल के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

4. सम्बद्ध चिकित्सालय का ऑडीटोरियम अथवा मल्टीपरपज हॉल है तो उसे नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिये मान्य किया जायेगा।

अनुसूची–2

(नियम 4(2) देखिए)

छात्रावास सुविधा

(प्रारूप)

स. क्र.	विवरण	आवश्यकता
1	छात्रावास कक्ष	प्रत्येक छात्र के लिये 60 वर्गफीट
2	बाथरूम	प्रति 5 छात्र के लिये एक
3	शौचालय	प्रति 5 छात्र के लिये एक
4	अतिथि कक्ष	500 वर्गफीट
5	रीडिंग कक्ष	प्रति 6 छात्र के लिये 50 वर्गफीट
6	स्टोर	500 वर्गफीट
7	रिक्रिएशन कक्ष	प्रति 6 छात्र के लिये 100 वर्गफीट
8	डाइनिंग हॉल	प्रतिछात्र 10 वर्गफीट। अधिकतम 3000 वर्गफीट।
9	किचन एण्ड स्टोर	1500 वर्गफीट
10	वार्डन कक्ष/कार्यालय	प्रतिवार्डन 150 वर्गफीट। अधिकतम 450 वर्गफीट।

अनुसूची–3

(नियम 4(3) देखिए)

चिकित्सालय आवश्यकता

(प्रारूप)

स. क्र.	विवरण	जी.एन.एम. के लिये	बी.एस.सी. नर्सिंग के लिये	पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिये	एम.एस.सी.नर्सिंग हेतु सुपर स्पेशलिटी अस्पताल				
1	बिस्तर संख्या	100	+ 100	+100	मेडिकल सर्जिकल	कम्यूनिटी हेल्थ	ऑब्स्ट्रेटिक एण्ड गायनोकॉलोजी	पीडियाट्रिक	साईकियाट्रिक
					प्रति 5 छात्र के लिये 50 मेडिकल सर्जिकल बिस्तर	–	प्रति 5 छात्र के लिये 50 ओ.बी.जी. के बिस्तर	प्रति 5 छात्र के लिये पीडियाट्रिक के 50 बिस्तर	–
2	मानसिक चिकित्सालय में बिस्तर	50	50	50	–	–	–	–	प्रति 5 छात्र के लिये साईकियाट्रिक 50 बिस्तर
3	प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	01	01	01	–	प्रति 5 छात्र के लिये 02 प्राथमिक एवं 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	–	–	–

नोट :–जी.एन.एम., बी.एस.सी. नर्सिंग एवं पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिये उपरोक्त आवश्यकता न्यूनतम होकर 30 छात्र के लिये हैं। छात्र संख्या में वृद्धि होने पर प्रति छात्र तीन अतिरिक्त बिस्तर के मान से आवश्यक होंगे।

अनुसूची–4
(नियम 4(4) देखिए)
शिक्षकं संकाय
(अ) आवश्यक पद
(प्रारूप)

पदनाम	आवश्यक पद			
	जी.एन.एम.	बी.एस.सी. नर्सिंग	पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग	एम.एस.सी. नर्सिंग
प्राचार्य	1			
उप प्राचार्य	1			
प्राध्यापक	–			1
सह प्राध्यापक	–	2		1
सहायक प्राध्यापक	–	3	+2	प्रत्येक विषय हेतु एक अध्यापक
ट्यूटर	प्रति 10 छात्र पर एक			–

नोट :– 1. जी.एन.एम., बी.एस.सी. नर्सिंग एवं पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु प्रति 10 अतिरिक्त छात्र के लिए एक सहायक प्राध्यापक अथवा ट्यूटर अतिरिक्त होना आवश्यक है।

2. एम.एस.सी नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु संस्था में उपलब्ध प्राध्यापक/सह–प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक द्वारा धारित विषय विशेषज्ञता के क्षेत्र में पृथक से सहायक प्राध्यापक आवश्यक नहीं है।

3. शैक्षणिक संवर्ग के कुल व्यक्तियों में से 70 प्रतिशत महिला होना अपेक्षित है।

शिक्षक संकाय
(ब) आवश्यक अर्हताऐं

पदनाम	शिक्षा	अनुभव		
		कुल अनुभव अवधि	अध्यापन का अनुभव	रिमार्क
प्राचार्य (केवल जी.एन.एम. हेतु)	बी.एस.सी. नर्सिंग	05 वर्ष	05 वर्ष	–
प्राचार्य (जी.एन.एम. को छोड़कर)	एम.एस.सी. नर्सिंग	15 वर्ष	12 वर्ष	05 वर्ष नर्सिंग कॉलेज में अध्यापन का अनुभव आवश्यक है।
उप प्राचार्य (जी.एन.एम. हेतु)	बी.एस.सी. / पोस्ट बेसिक बी.एस.सी./	03 वर्ष	03 वर्ष	–
उप प्राचार्य (अन्य)	एम.एस.सी. नर्सिंग	12 वर्ष	10 वर्ष	05 वर्ष नर्सिंग कॉलेज में अध्यापन का अनुभव आवश्यक है।
प्राध्यापक		10 वर्ष	07 वर्ष	05 वर्ष नर्सिंग कॉलेज में अध्यापन का अनुभव आवश्यक है।
सह प्राध्यापक		08 वर्ष	05 वर्ष	05 वर्ष नर्सिंग कॉलेज में अध्यापन का अनुभव आवश्यक है।
सहायक प्राध्यापक		03 वर्ष	03 वर्ष	–
ट्यूटर	बी.एस.सी./ पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग	01 वर्ष	–	–

अनुसूची–5

नियम 4(4) (ii)

शैक्षणिक अमले का परिषद् में पंजीयन हेतु प्रारूप

(1) व्यक्तिगत जानकारी

पासपोर्ट साइज फोटो (वर्तमान का)

नाम : .....
पद : .....
जन्म दिनांक : .....
उम्र : .....
लिंग (स्त्री/पुरुष) : .....
पंजीयन क्रमांक म.प्र. में : .....
(अ) पंजीयन नर्स (आर.एन.) क्रं. : .....
(ब) पंजीयन प्रसाविका (आर.एम.) क्रं. : .....
आधार नंबर : .....

(2) शैक्षणिक योग्यता

पाठ्यक्रम का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	संस्था जहाँ से परीक्षा उत्तीर्ण की है	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम
नर्सिंग शिक्षा और प्रशासन में डिप्लोमा			
बी.एस.सी नर्सिंग			
पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग			
एम.एस.सी. नर्सिंग-मेडिकल सर्जिकल			
एम.एस.सी. नर्सिंग–ओ.बी.जी.			
एम.एस.सी. नर्सिंग–सी.एच.एन.			
एम.एस.सी. नर्सिंग-पीडियाट्रिक्स			
एम.एस.सी. नर्सिंग–मानसिक स्वास्थ्य			
पी.एच.डी नर्सिंग			
अन्य			

(3) अनुभव

क्र.	क्लिनिकल			शैक्षणिक				
	अस्पताल का नाम/पता	समयावधि		संस्था का नाम/पता	कॉलेज अथवा विद्यालय	पद	समयावधि	
		कब से	कब तक				कब से	कब तक
1								
2								
3								
4								
5								
6								

अनुसूची–6

(नियम 4(4)(iii) देखिए)

(अ) प्रशासन/प्रबंधन के लिए आवश्यक अमला

(प्रारूप)

स.क्र.	पदनाम	अर्हता	संख्या
1	निज सहायक/लिपिक	स्नातक	02
2	लायब्रेरियन	पुस्तकालय में डिग्री अथवा डिप्लोमा	01
3	प्रयोगशाला सहायक	दसवीं कक्षा उत्तीर्ण	01
4	चौकीदार/भृत्य/सफाई कर्मचारी	–	आवश्यकतानुसार
5	वाहन चालक	वैद्य लायसेंसधारी	प्रति वाहन एक

(ब) छात्रावास के लिए

स.क्र.	पदनाम	अर्हता	आवश्यक संख्या
1	वार्डन	होम साइंस /हाउस कीपिंग/कैटरिंग में स्नातक अथवा डिप्लोमा	01
2	कुक	---	प्रति 30 छात्र के लिए एक
3	रसोई घर सहायक	---	प्रति 15 छात्र के लिए एक
4	स्वीपर/सफाई कर्मचारी	---	प्रति 30 छात्र के लिए एक
5	चौकीदार/वॉचमेन	---	आवश्यकतानुसार

अनुसूची–7

(नियम 4(5) देखिए)

शैक्षणिक अधोसंरचना से संबंधित सुविधाऐं

(प्रारूप)

सरल क्र.	शैक्षणिक अधोसंरचना / सुविधाऐं	आवश्यकता
1.	पुस्तकालय में पुस्तकें	प्रत्येक विषय विशेष हेतु पाठ्क्रम में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों की तीन प्रतियाँ
2.	लेबोरेटरी 2.1 फंडामेंटल नर्सिंग–लेबोरेट्री 2.2 मिडवाईफ्री एण्ड चाइल्ड हेल्थ लेबोरेट्री 2.3 कम्प्यूनिटी हेल्थ लेबोरेट्री 2.4 ऐनाटॉमी एण्ड फिजियालॉजी लेबोरेट्री 2.5 न्यूट्रीशन लेब 2.6 एडवांस स्कील लेब 2.7 कम्प्यूटर लेब 2.8 ऑडियो विजुअल एड्स रूम	आई.एन.सी. द्वारा समय–समय पर तय मानक अनुसार
3.	इंटरनेट सुविधा	निरंतर उपलब्धता

टीप : जी.एन.एम. पाठ्यक्रम हेतु कम्यूनिटी अथवा न्यूट्रीशन के लिये एक संयुक्त लेबोरेट्री पर्याप्त होगी।

अनुसूची–8
(नियम 5(3) देखिए)
आवेदन का प्रारूप
नवीन एवं सीट वृद्धि हेतु आवेदन

1. आवेदक संस्था की जानकारी

संस्था का विवरण	नाम : पता : विकास खण्ड : जिला : पिन कोड :
पंजीयन विवरण (तीन वर्ष या उससे अधिक का)	पंजीयन क्रमांक : दिनांक : अधिनियमः पंजीयन प्राधिकारी :
संस्था के सदस्यों के नाम	1 नाम एवं पद नाम 2 3 4
दूरभाष क्रमांक	एस.टी.डी. कोडः नम्बर :
ई मेल आई. डी.	ई मेल आई डी. : वेबसाइट :
अध्यक्ष / प्राचार्य / नोडल अधिकारी का नाम	दूरभाष क्रमांकः आधार क्रमांकः

2. आवेदन का प्रारूप

(अ) नवीन आवेदन :–

सं. क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	प्रस्तावित छात्र संख्या
1	जी.एन.एम.	
2	बी.एस.सी. नर्सिंग	
3	पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग	
4	एम.एस.सी. नर्सिंग	
5	अन्य पाठ्यक्रम –	
	1. पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन कार्डियो थोरासिक नर्सिंग	
	2. पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन ऑपरेशन रूम नर्सिंग	
	3. पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन आर्थोपेडिक रिहेबिलिटेशन नर्सिंग	
	4. पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन ओंकोलोजी नर्सिंग	
	5. पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन क्रिटिकल केअर नर्सिंग	
	6. पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन इमरजेंसी एण्ड डिजास्टर नर्सिंग	
	7. पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन न्योनेटल नर्सिंग	
	8. पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन न्यूरोसाइंस नर्सिंग	
	9. पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन साईक्रेट्रिक/मेंटल हेल्प नर्सिंग	
	10. पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन फारेंसिक नर्सिंग	

	11. पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन इनडिपेंडेंट नर्स मिड वाईफ	
	12. आईएनसी द्वारा नियत अथवा मान्य अन्य कोई पाठ्यक्रम	
	13. संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित अन्य कोई पाठ्यक्रम	

(ब) नवीनीकरण आवेदन :–

सं. क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	स्वीकृत छात्र संख्या
1	जी.एन.एम.	
2	बी.एस.सी. नर्सिंग	
3	पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग	
4	एम.एस.सी. नर्सिंग	
5	अन्य पाठ्यक्रम	

(स) सीट वृद्धि/पाठ्यक्रम का विस्तार का आवेदन :–

सं. क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पूर्व स्वीकृत छात्र संख्या	नवीन प्रस्तावित छात्र संख्या
1	जी.एन.एम.		
2	बी.एस.सी. नर्सिंग		
3	पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग		
4	एम.एस.सी. नर्सिंग		
5	अन्य पाठ्यक्रम		

अनुसूची–9

नियम–5(6) देखिए

मान्यता प्रमाण पत्र का प्रारूप

मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल,
गोमन्तिका परिसर, तृतीय तल, जवाहर चौक, भोपाल।

मान्यता क्रमांक.....

मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल एतद् द्वारा मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम, 2018 के तहत.....(संस्था का नाम एवं पता), पंजीयन क्रमांक..... .....को निम्न नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु मान्यता प्रदान करता है:–

अनुक्रमांक	पाठ्यक्रम	शैक्षणिक सत्र	छात्र संख्या

मान्यता की शर्तें:–

1. यह मान्यता का नियमन मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम, 2018 के तहत शास्ति है।
2. सभी पाठ्यक्रमों के लिये मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल, भोपाल में रजिस्ट्रेशन के पूर्व पाठ्यक्रम से संबंधित अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करना एवं पाठ्यक्रम अनुसार इंटर्नशिप पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
3. संस्था द्वारा छात्र अथवा उस के पालक से प्राप्त की जाने वाली विभिन्न फीस/शुल्क की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी:–
   (अ) प्रवेश, शिक्षण, विकास/संधारण, कम्प्यूटर, इन्टरनेट, आदि शुल्क के लिए समय–समय पर राज्य प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति अथवा मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल द्वारा शुल्क की राशि।
   (ब) पंजीयन परीक्षा एवं परीक्षा परिणाम की अंकसूची/प्रमाण–पत्र के संबंध में मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल/ मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर म.प्र. द्वारा निर्धारित शुल्क की राशि।
4. यह मान्यता स्वयं की घोषणा के आधार पर दी जा रही है। जानकारी असत्य पाये जाने पर मान्यता निरस्त की जावेगी।

दिनांक .....

हस्ताक्षर
नाम
रजिस्ट्रार

अनुसूची–10

(नियम 9 (i) देखिए)

(अ) चिकित्सालय से सम्बद्धता

(प्रारूप)

1.चिकित्सालय का नाम .....

2.चिकित्सालय का पता .....

ई–मेल.....दूरभाष क्रं.....

3.चिकित्सालय के पंजीयन संबंधी जानकारी:–

3.1 पजीयनकर्ता का पदनाम एवं स्थान.....

3.2 पंजीयन क्रमांक.....

3.3 पंजीयन वैद्यता अवधि दिनांक .....से दिनांक .....तक

3.4 पंजीकृत बिस्तर संख्या

विषय	पंजीकृत संख्या	उपलब्ध संख्या
मेडीकल / सर्जीकल	.....	.....
ऑर्थो	.....	.....
ओ.बी.जी.	.....	.....
पीडियाट्रिक	.....	.....
सायकियाट्रिक	.....	.....
अन्य	.....	.....
योग	.....	.....

4. विगतवर्ष (1 अक्टूबर से 30 सितम्बर) तक कुल भर्ती मरीज की आई.पी.डी. संख्या .....

5. क्या चिकित्सालय आवेदक संस्था के स्वयं के स्वत्व का है। [नियम 4 (ii) (अ) देखें] हाँ / नहीं .....

6. यदि उक्त 4 का उत्तर नहीं में हो तो आवेदक संस्था के संचालक / ट्रस्टी का नाम जो चिकित्सालय का संचालक / ट्रस्टी है। .....

7. नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए चिकित्सालय की सम्बद्धता

1. नर्सिंग शिक्षण/प्रशिक्षण संस्था का नाम .....
2. पाठ्यक्रम .....
3. छात्र संख्या .....
4. सम्बद्धता दिवस, दिनांक से ..... दिनांक तक .....

8. उक्त बिन्दु 1 से 7 तक प्रविष्टी उपरान्त प्रिन्ट आउट पर चिकित्सालय द्वारा हस्ताक्षरित एवं पद मुद्रा जारी प्रमाण पत्र अपलोड करें।

9. अस्पताल के वार्ड दर्शाते हुए Latitude एवं Longitude के साथ फोटो अपलोड करें।

अनुसूची–11
(नियम 10 देखिए)
प्रति पाठ्यक्रम प्रति आवेदन शुल्क
(वर्ष 2018–19 के लिए)
(प्रारूप)

नर्सिंग पाठ्यक्रम	सुरक्षा राशि	आवेदन शुल्क		पुनः निरीक्षण शुल्क
	सावधि जमा	नवीन	सीट वृद्धि	
जी.एन.एम. नर्सिंग	50,000	10,000	15,000	25,000
बी.एस.सी. नर्सिंग	50,000	25,000	35,000	25,000
पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग	50,000	25,000	35,000	25,000
एम.एस.सी. नर्सिंग	50,000	50,000	75,000	25,000

स्कूल/कॉलेज नवीनीकरण शुल्क
(वर्ष 2018–19 के लिए)

स्कूल/कॉलेज	राशि
ए.एन.एम. स्कूल	6,000
जी.एन.एम. स्कूल	12,000
बी.एस.सी. नर्सिंग कॉलेज	18,000
पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग कॉलेज	18,000
एम.एस.सी. नर्सिंग कॉलेज	18,000

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.